

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां, गिरिडीह।

विविध वाद संख्यां 21/19-20

सुमा देवी
बनाम
लखन मुसहर वगैरह

आदेश का क्रम
संख्यां एवं तारिख

आदेश फलक

04.08.2021

उपायुक्त का कार्यालय, प्रभारी पदाधिकारी जिला जन शिकायत कोषांग, गिरिडीह के पत्रांक 267/जि0जन0को0 गिरिडीह दिनांक 17.06.2019 के द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

प्राप्त पत्र को हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें स्पष्ट वर्णित है कि मौजा सेरूआ, थाना नं 192, खाता नं 94, प्लॉट नं 1/1 रकवा 0.40 डीसमील भूमि गैरमजरूआ खास खाते की जमीन का किस्म नदी है, वर्णित भूमि पर आवेदिका का आरोप यह है कि साकिन सेरूआ के लखन मुसहर पिता वंशी मुसहर, प्रदीप मुसहर एवं दोनों की पत्नी सुनीता देवी और दुलारी देवी के द्वारा सरकार द्वारा प्राप्त भू-बंदोबस्ती पर जबरदस्ती दखल करना चाहता है, जांच प्रतिवेदन में यह भी वर्णित है कि विपक्षी से सम्पर्क करने पर विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, पंजी 11 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भोलूम 5 पेज संख्यां 28 पर खाता नं 94, प्लॉट नं 1/1 रकवा 0.40 डीसमील भू-बंदोबस्ती केश नं 15/2002-03 L.R.12/2003 पर प्रथम पक्ष सुमा देवी पति चिन्तामन रविदास के नाम से दर्ज है।

उभय पक्षों को सुना एवं दोनो पक्षों से विभिन्न तिथियों में कागजात की मांग की गयी परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी तरह का स्पष्ट कागजात नहीं दिखाया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित लगान रसीद Reciept No 0764527710 वर्ष 2019-20 खाता नं 94 रकवा 0.40 एकड एवं Reciept No 0805328140 वर्ष 2020-21 प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरान्त प्रथम पक्ष के दावे की पुष्टी करते हुए द्वितीय पक्ष के दावे को खारीज किया जाता है।

उभय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
गावां।

अंचल अधिकारी,
गावां।